खास खबरें

मोपेड टकराने के विवाद में युवक पर चाकू से हमला

नप्र, भोपालः ऐशबाग थाना क्षेत्र में मोपेड टकराने के विवाद के बाद फरियादी अरहम खान (18) पर दो अज्ञात आरोपियों ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

सूने मकान का ताला तोड़कर तीन लाख की चोरी

निशातपुरा थाना क्षेत्र के गोपालनगर में फरियादी कामनी खटिक के सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर सोने-चांदी के जेवर और 20 हजार रुपये नकद सहित करीब तीन लाख रुपये का सामान चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अस्पताल के सामने से बाइक चोरी

शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र में एवीएम अस्पताल के सामने से फरियादी महेंद्र राजपूत की हीरो मोटरसाइकिल (एमपी-08-जेडए-1353) अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। पुलिस ने वाहन चोरी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

लापरवाही से वाहन चलाकर मारी टक्कर

मिसरोद थाना क्षेत्र में मेन रोड पर फरियादी रवि सलेजा की शिकायत पर कार (पीवी-01-बीसी-6066) के चालक के खिलाफ तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

क्रेडिट कार्ड से 1.14 लाख रुपए की साइबर ठगी

बागसेवनियां क्षेत्र में फरियादी ललिता कुमारी मीणा के क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग कर अज्ञात साइबर ठगों ने 1.14 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है।

फर्जी दस्तावेजों से तीन जगह नौकरी पाने का मामला

चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में फरियादी डॉ. राकेश बोहरे की शिकायत पर आरोपी डॉ. महेशचंद्र शर्मा के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर तीन स्थानों पर नियुक्ति प्राप्त करने के आरोप में धोखाधड़ी एवं जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है।

क्रेडिट कार्ड से 49 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी

छोलामंदिर थाना क्षेत्र में फरियादी संदीप परोचे के क्रेडिट कार्ड से अज्ञात साइबर ठगों ने 49,448 रुपये निकाल लिए। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर साइबर माध्यम से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

पुरानी रंजिश में लाठी-कुल्हाड़ी से हमला

बैरसिया थाना क्षेत्र के शाहपुरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते फरियादी इमरत सिंह गुर्जर की शिकायत पर आरोपी सुज्जन सिंह, लक्ष्मीनारायण उर्फ छुल्ला, गोविंद सिंह, भगवत सिंह, हेम सिंह, नारायण सिंह, गब्बर सिंह, प्रेम सिंह, दयाल सिंह, हाकम सिंह, दीप सिंह, धाराम और लखपत सहित अन्य के खिलाफ लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से मारपीट कर छह लोगों को घायल करने का मामला दर्ज किया है।

रेलवे स्टेशन पर गूंजा संदेश 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0', जीआरपी ने निकाली जागरूकता रैली

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 15 से 30 जुलाई तक चलाए जा रहे 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के तहत जीआरपी भोपाल ने मंगलवार को रेलवे स्टेशन परिसर में जागरूकता रैली निकाली। रैली में रेल रक्षा समिति के सदस्य, कुली, वेंडर्स, ऑटो चालक और आम नागरिक शामिल हुए।

इस दौरान प्लेटफॉर्म पर पंपलेट वितरित कर यात्रियों, युवाओं, महिलाओं और आमजन को मादक पदार्थों एवं अन्य प्रकार के नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। साथ ही सभी से नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की गई तथा अभियान को सफल बनाने की शपथ भी दिलाई गई।

300 छात्रों ने ली नशामुक्ति की शपथ

'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के तहत ओरिएंटल कॉलेज के हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हॉस्टल में रहने वाले करीब 300 छात्रों को नशे से दूर रहने और अपने साथियों को भी नशे से बचाने की शपथ दिलाई गई।

कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान की जानकारी देते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान हॉस्टल वार्डन भी उपस्थित रहे। पुलिस ने युवाओं से नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

पुलिस की शहरभर में पैदल और वाहन रैली

मध्यप्रदेश पुलिस के प्रदेशव्यापी अभियान 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' के तहत बुधवार को भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने शहर के सभी थाना क्षेत्रों में पैदल और वाहन रैलियां निकालकर आमजन एवं विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया।

अभियान के अंतर्गत पैदल रैली, वाहन रैली, छात्र-छात्राओं के साथ संवाद, जनसंपर्क कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों की जानकारी दी तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने का आह्वान किया। भोपाल पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र, मोहल्ले या कॉलोनी में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री, तस्करी या नशे से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल 1933 हेल्पलाइन या संबंधित थाना पुलिस को दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और आमजन की सहभागिता से यह अभियान अधिक प्रभावी होगा तथा सुरक्षित, स्वस्थ और नशामुक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

गड़े धन के लालच में पिता बना हैवान

तंत्र-मंत्र के अंधविश्वास में मासूम बेटी की बलि

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल देहात पुलिस ने सूखीसेवनिया थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका की हत्या के बहुचर्चित मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी, जो मृतिका का पिता है, को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने गड़े हुए धन (सोना-चांदी) की लालच और अंधविश्वास के चलते अपनी ही मासूम बेटी की दो साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी और शव को खेत में दफना दिया।

पुलिस अधीक्षक भोपाल (देहात) पंकज कुमार पाण्डेय के निर्देशन में हुई जांच के अनुसार, 3 अप्रैल 2026 को आरोपी ने स्वयं रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि खलिहान में सोते समय उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति उठा ले गया। इस पर थाना सूखीसेवनिया में अपहरण का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

जांच के दौरान 7 मई 2026 को बालिका के लापता होने के स्थान से करीब 200 मीटर दूर एक खेत में मानव कंकाल मिला, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच तेज कर दी। इसी बीच फरियादी पिता भी घर से लापता हो गया। पुलिस को उसकी पत्नी द्वारा व्यक्त संदेह, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को 14 जुलाई 2026 को विदिशा जिले के गंजबासौदा क्षेत्र से तलाश कर हिरासत में लिया गया।

पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने दो साथियों के साथ मिलकर तंत्र-मंत्र और गड़े धन के अंधविश्वास में अपनी बेटी की डंडे से पिटाई की, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में मिट्टी में दफना दिया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया गया है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238(ए), 61(2)(ए) एवं 212(बी) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

भक्ति सुरों से दी राजेश प्रसाद मिश्रा को श्रद्धांजलि

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः स्व. राजेश प्रसाद मिश्रा (सेवानिवृत्त आईएएस) की 67वीं जन्मजयंती पर बुधवार को रविन्द्र भवन के गौरांजनी सभागृह में भजन संध्या एवं स्मृति सम्मान समारोह आयोजित हुआ।

लायंस हरिओम जटिया और आरके क्रिएशन के संयुक्त तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में पूर्व संभागायुक्त अजातशत्रु श्रीवास्तव सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने मिश्रा के प्रशासनिक योगदान, सादगी और जनसेवा को याद कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद रूपा हलदार, संदीपा पारे, परवेज खान सहित कलाकारों ने लोकप्रिय भजनों की प्रस्तुतियों से भक्तिमय वातावरण बना दिया। कलाकारों की प्रस्तुति को दर्शकों ने तालियों से सराहा।

रामेश्वर ने दिलाया भरोसा, संतनगर की सभी समस्याएं 2027 तक हल होंगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः पूज्य सिंधी पंचायत संतनगर के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा,, विशेष अतिथि पार्षद एवं एम.आई.सी. सदस्य राजेश हिगोरानी, सुशील वासवानी, कर्नल नारायण पारवानी, पार्षद अशोक मारन, चुनाव अधिकार बसंत चेलानी, सहचुनाव अधिकारी धर्मप्रकाश मोटवानी एवं आयलदास साधवानी द्वारा दीप प्रज्जवलन कर किया गया।

सर्वप्रथम चुनाव अधिकारी बसंत चेलानी ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष माधु चाँदवानी ने संत नगर की दो प्रमुख समस्याओं एक लीज नवीनीकरण एवं पट्टों की समस्या एवं दूसरी फाटक रोड व्यापारियों की समस्या से माननीय विधायक से चर्चा की एवं जल्द.जल्द दोनों समस्याओं का निराकरण करने की अपील की। महासचिव राजकुमार वाधवानी ने भी इन दोनों समस्यों पर चर्चा की।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रामेश्वर शर्मा ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि हम संत नगर की जो दो प्रमुख समस्याए है उसका जल्द ही कुछ निराकरण करेंगे और जिन दुकानदारों की दुकानें टूट गई है उनको जल्द ही उचित स्थान देंगे ।

सेवा सदन को सोमेश दावानी के नेत्रों का दान

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः ईदगाह हिल्स, भोपाल निवासी सोमेश दावानी का देहावसान हो गया। दिवंगत प्राणी के पिता श्री जयपाल दास दावानी ने अपने पुत्र की आंखें सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय को दान में दे दी हैं। दिवंगत प्राणी के नेत्र, अब दो जरूरतमंद दृष्टिबाधित व्यक्तियों को प्रत्यारोपित किए जायेंगे। सेवा सदन अस्पताल ने अभी तक 2,348 दृष्टिबाधित लोगों को निःशुल्क नेत्र प्रत्यारोपित कर नेत्र ज्योति प्रदान की है।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं साबिया अली (SABIYA ALI) पत्नी मोईज अली (MOIZ ALI) निवासी-डी-34, बीडीए कॉलोनी, कोहेफिजा भोपाल (मध्य प्रदेश), घोषणा करती हूं कि मेरे पासपोर्ट में मेरे नाम की स्पेलिंग (SABIAH ALI) अंकित है। जबकि मेरे नाम की सही स्पेलिंग (SABIYA ALI) है जो सही एवं सत्य है जो मेरे सभी वर्तमान दस्तावेजों में दर्ज है। अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए।

952

पदोन्नत पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

नप्र, भोपालः इंदौर में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पदोन्नति मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत किया। पदोन्नत अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समयबद्ध पदोन्नति की दिशा में किए गए प्रयासों से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है और प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पदोन्नत पुलिस अधिकारियों को बैच लगाकर सम्मानित किया और उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार पुलिसकर्मियों के कल्याण, प्रशिक्षण और सेवा-सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से नई जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ करने का आह्वान किया।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों में लापरवाही पर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन ने शहर में गंदगी और सीएंडडी वेस्ट फैलाने वाले मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, रेलवे और अन्य संस्थानों को नोटिस जारी कर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अटल भवन में आयोजित समय-सीमा प्रकरणों और निगम के कार्यों की समीक्षा बैठक में आयुक्त ने अधिकारियों को राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने संपत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार, लीज रेंट सहित सभी मदों में बकाया राशि की वसूली अभियान चलाकर करने तथा नए कर खाते खोलकर निगम की आय बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त ने शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर विधानसभावार सभी अतिक्रमण प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी अपर आयुक्तों से कहा कि शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करें। निगम आयुक्त ने स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण करने वालों पर नियमानुसार कंपाउंडिंग की कार्रवाई करने, शहर की निगम स्वामित्व वाली संपत्तियों का सत्यापन कराने तथा लीज रेंट सहित अन्य बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने 20 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय परिसरों, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, कार्यालयों, मैरिज गार्डन और होटलों में कचरे के बल्क जनरेटर का अनिवार्य पंजीयन कराने के निर्देश दिए। साथ ही सड़कों पर पड़े सीएंडडी वेस्ट को तत्काल हटाने, नालों और तालाबों की नियमित सफाई तथा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करने के लिए भी निर्देशित किया।

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति गैरतगंज जिला-रायसेन

क्र./मंडी/निर्माण/2026-27/245 गैरतगंज, दिनांक : 15.07.2026

प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति **गैरतगंज उपमंडी देहगांव में** ई-टेण्डरिंग के माध्यम से 50 मैट्रिक टन क्षमता एवं 10 मै.टन. क्षमता की अतिरिक्त प्लेट का स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) के तहत तौल कांटा की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम **क्रमांक 2026_MPSAM_521576_1** के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदायें दिनांक 17.07.2026 को 11:30 बजे से दिनांक 06.08.2026 को शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल **www.mpmandiboard.gov.in** पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट : आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
गैरतगंज, जिला-गैरतगंज

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति
गैरतगंज, जिला-रायसेन

म.प्र. माध्यम/126889/2026

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति बेगमगंज, जिला-रायसेन (म.प्र.)

E-mail ID : mpapmcbegamganj@gmail.com

क्रमांक/मण्डी/निर्माण/2026-27/213 बेगमगंज, दिनांक : 15.07.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति, बेगमगंज के प्रांगण में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) के तहत संरचना की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम **क्रमांक 2026_MPSAM_521507_1** के अंतर्गत ऑनलाइन निविदायें **दिनांक 16.07.2026 को समय प्रातः 11:30 बजे से दिनांक 05.08.2026 को शाम 5.30 बजे तक** आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल **www.mpmandiboard.gov.in** पर भी अवलोकनीय होगी।

नोट :- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
बेगमगंज, जिला-रायसेन

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति
बेगमगंज, जिला-रायसेन

म.प्र. माध्यम/126895/2026

सिंधी सम्मेलन में आपसी एकता की मजबूती पर देंगे बल

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः सामाजिक संस्था सिंधी सेन्ट्रल पंचायत इस क्षेत्र की समस्याओं को सरकारी पटल पर रखने एवं जनप्रतिनिधियों का ध्यान केन्द्रित कर उनके निराकरण के अलावा सिंधी समाज को एक सूत्र में बांधने जैसा महत्वपूर्ण काम भी कर रही है।

इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार पंचायत ने आगामी 6 सितम्बर से विदेशी धरती वियतनाम में 7 दिवसीय पारिवारि टूर एवं सिंधी सम्मेलन का आयोजन किया है, इसकी तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता पंचायत अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश इसरानी ने की। जिसमें पंचायत एवं टूर संयोजक कन्हैयालाल इसरानी, महासचिव सुरेश जसवानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश चोटरानी आदि ने भाग लिया।

एकता पर देंगे जोरः बैठक की जानकारी देते हुए महासचिव सुरेश जसवानी ने बताया कि बैठक में वियतनाम सिंधी सम्मेलन के एजेंटे पर चर्चा की गई और तय किया गया कि सम्मेलन में न केवल भारत देश बल्कि विश्व सिंधी समाज में आपसी एकता पर जोर दिया जाएगा।

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्रीमती अंजना श्रीवास्तव, पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव, निवासी 55, बटेरा, जे.जे. रोड, खरगोन, बटेरा राजवाड़ा, जिला रायसेन (म.प्र.), द्वारा निम्नलिखित अचल संपत्ति को विक्रयकर्ता एम/एस Suc Builders and Developers Pvt. Ltd., अपने संचालक श्री डी. के. सिंह, पुत्र श्री पी.एन. तिवारी, निवासी डी/133, छत्रपति नगर, अयोध्या बायपास रोड, जिला भोपाल (म.प्र.), से क्रय किया जा रहा है। **संपत्ति का विवरण :** प्लॉट क्रमांकः 127 क्षेत्रफल : 20 × 40 फीट = 800 वर्गफुट खसरा नं.: 407-408/2/1/1/4/1/6 ग्राम : बरखेड़ा पठानी पटवारी हल्का नं.: 19 वार्ड नं. : 56, जिला भोपाल (म.प्र.) **चतुर्सीमा :** पूर्व : अन्य की भूमि पश्चिम : रोड उत्तर : प्लॉट नं. 126 दक्षिण : प्लॉट नं. 128 अतः यदि किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वित्तीय संस्था अथवा अन्य किसी पक्ष का उपरोक्त वर्णित संपत्ति पर किसी भी प्रकार का स्वामित्व, हक, अधिकार, दावेदारी, बंधक (Mortgage), गिरवी, विक्रय, उपहार, वसीयत, लीज, किरायेदारी, कब्जा, न्यायालयीन वाद, कुर्की, निषेधाज्ञा, चार्ज, ग्रहणाधिकार (Lien), उत्तराधिकार अथवा अन्य किसी प्रकार का वैधानिक अथवा अवैधानिक दावा या आपत्ति हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 (पंद्रह) दिवस के भीतर अपने समस्त मूल अभिलेखों एवं प्रमाणों सहित अधोहस्ताक्षरी अधिवक्ता के कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में कोई दावा/आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि उक्त संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई अधिकार, हित अथवा दावा शेष नहीं है तथा मेरे मुवक्किल उक्त संपत्ति का क्रय-विक्रय/विक्रय विलेख (Sale Deed) अपने जोखिम पर नहीं बल्कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तत्पश्चात प्राप्त किसी भी दावा अथवा आपत्ति के लिए मेरे मुवक्किल अथवा अधोहस्ताक्षरी किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे।

अजीत सिंह, एडवोकेट
कार्यालयः दु.नं. 154, 156, नेहरू मार्केट बरखेडा भेल भोपाल एम. पी
मो.नंबर-9826010266

951

कार्यालय नगर निगम, भोपाल यांत्रिक विभाग, जोन क्र. 16

निविदा आमंत्रण सूचना

क्र.509/यां.वि./16/2026 **भोपाल दिनांक 15/07/2026**

निम्न कार्य हेतु म.प्र. लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण Website http://www.mptenders.gov.in पर है।

क्र.	निविदा क्रं.	कार्य का संक्षिप्त विवरणौ	अनुमानित लागत	निविदा क्र. करने की अंतिम दिनांक	समय
1	2026_UAD_521201_1	DEVELOPMENT OF PARK ATBHAWANI TOWN INFRONT OF SHRIVASTAVA JI HOUSE WARD 68 ZONE 16 (Paver Block, Shed, Painting, Repairing, Lamp, Benches)	17,00,316/-	13.08.2026	17:30 PM
2	2026_UAD_521202_1	CONSTRUCTION OF CC ROAD FROM MAHARAJ RANJEET SINGH TO GANPATI ROYAL WARD 74 ZONE 16	12,98,840/-	13.08.2026	17:30 PM
3	2026_UAD_521203_1	CONSTRUCTION OF BOUNDARY WALL OF PARK INFRONT OF SATENDRA GURJAR JI HOUSE AYODHYA EXTENSION WARD 68 ZONE 16	9,68,497/-	29.07.2026	17:30 PM
4	2026_UAD_521204_1	CONSTRUCTION OF BOUNDARY WALL AT INFRONT OF MALKHAN SINGH MEENA HOUSE AYODHYA NAGAR WARD 68 ZONE 16	6,23,783/-	29.07.2026	17:30 PM
5	2026_UAD_521205_1	CONSTRUCTION OF SHED, CHABUTRA AND C.C ROAD NEAR PIPAL KA PED ADARSH NAGAR WARD 65 ZONE 16	3,74,683/-	29.07.2026	17:30 PM
6	2026_UAD_521206_1	CONSTRUCTION OF CC ROAD FROM SARASWATIKUSHWAHA TO RAJU SHRIWAS SHARDA NAGAR WARD 74 ZONE 16	3,93,050/-	29.07.2026	17:30 PM
7	2026 UAD_521208_1	CONSTRUCTION OF CC ROAD AT SHANKAR SHAKYA WALI GALI KAILASH NAGAR SEMRA WARD 74 ZONE 16	90,399/-	29.07.2026	17:30 PM
8	2026_UAD_521311_1	CONSTRUCTION OF CC ROAD AND RCC DRAIN AT SAI DHAM KARARIYA WARD 74 ZONE 16	17,59,308/-	13.08.2026	17:30 PM
9	2026_UAD_521312_1	CONSTRUCTION OF RCC DRAIN BHAGIRATH NAMDEV HOUSE SHIV NAGAR PHASE 1 WARD 73 ZONE 16	2,19,776/-	29.07.2026	17:30 PM
10	2026_UAD_521313_1	CONSTRUCTION OF RCC DRAIN INFRONT OF FORTIS HOSPITAL SHIV SHAKTI NAGAR WARD 73 ZONE 16	1,37,360/-	29.07.2026	17:30 PM

नोट - संशोधन केवल वेबसाईट पर ही देखे जा सकेंगे, समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होंगे।

नि. क्र. 443/026/027 **सहायक यंत्री (सिविल) जोन क्र. 16 नगर निगम भोपाल**

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
प्रगति भवन प्रेस काम्पलेक्स जोन-1 महाराणा प्रताप नगर भोपाल

प्रापर्टी आई.डी.नं.-700060065, आवेदन क्रमांक-12219 आवेदन दिनांक 01.06.2026

क्रमांक 2295/राजस्व/भाँविप्रा/26
भोपाल, दिनांक 15.07.2026

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की शाहपुरा योजना में स्थित भूखण्ड-65 सेक्टर-बी, 1. श्रीमती सरोज पालान्दुरकर पत्नी स्व. श्री विनायक गोविन्दराव पालान्दुरकर, 2. श्री विकास विनायक पालान्दुरकर एवं 3. श्री विजय पालान्दुरकर पुत्रगण स्व. श्री विनायक गोविन्दराव पालान्दुरकर के संयुक्त नाम पर आवंटित है। संयुक्त आवंटी में श्रीमती सरोज पालान्दुरकर का स्वर्गवास दिनांक-17.07.2017 को हो जाने के कारण आवंटी के वारिसगण श्री विकास विनायक पालान्दुरकर एवं श्री विजय पालान्दुरकर के द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड वांछित प्रपत्रों को प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड मे से संयुक्त आवंटी श्रीमती सरोज पालान्दुरकर का नाम विलोपित कर अपने संयुक्त नाम पर नामांतरण चाहा गया है।

उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से **07 दिवस** के अंदर लिखित एवं साक्ष्ये/दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी भोपाल
विकास प्राधिकरण, भोपाल

950

जाहिर सूचना

मेरे पक्षकार **टुरू होम फाइनेंस लिमिटेड** की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती किरन गुप्ता पत्नि श्री सुग्रीम गुप्ता निवासी भोपाल, के द्वारा टुरू होम फाइनेंस लिमिटेड (पुराना नाम श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) भोपाल से उक्त संपत्ति पर ऋण प्राप्त किया जा रहा है। जिसका पता-एक किता मकान क्र.-4/1 पचंशील नगर, (52 क्वार्ट) तहसील हुजूर जिला-भोपाल (म.प्र.) है, उक्त संपत्ति जो कि वर्तमान समय पर श्रीमती किरन गुप्ता पत्नि श्री सुग्रीम गुप्ता के नाम पर दर्ज है, जिसका विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2026 जिसका पंजीयन क्रं.-MP43IGR16952026A100804550 है। उक्त संपत्ति पर श्रीमती किरन गुप्ता पत्नि श्री सुग्रीम गुप्ता के द्वारा टुरू होम फाइनेंस लिमिटेड (पुराना नाम श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) भोपाल से ऋण प्राप्त किया जा रहा है। यह कि एक किता मकान क्र.-4/1 पचंशील नगर, तहसील हुजूर जिला-भोपाल (म.प्र.) के संव्यवहार में एक लीज डीड दिनांक 02.07.1993 जिसका पंजीयन पुस्तक क्रं.-अ-1, ग्रथ क्रं.-8858, इन्द्रजाल क्रं.-1341 (ख) एवं विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1993 जिसका पंजीयन पुस्तक क्रं.-अ-1, ग्रंथ क्रं.-8858, इन्द्रजाल क्रं.-1340 (ख) जो कि श्रीमती तानु बाई वाहने पत्नि श्री पुडलिक राव वाहने के नाम से पंजीकृत है। उक्त **विक्रय पत्र एवं लीज डीड कही गुम हो गई है,** जिसकी सूचना संबंधित थाने में भी दे दी गई है, उक्त विक्रय पत्र एवं लीज डीड व संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक का कोई ऋण, भार, दान, बंधक, अनुबंध हो अथवा इस अंतरण से किसी का कोई हित प्रभावित हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के **07 (सात) दिवस** की अवधि के अंदर में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित मेरे समक्ष निम्न पते पर लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करें, उक्त निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर मेरे पक्षकार उक्त सम्पत्ति को बंधक रख ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे एवं उक्त अवधि पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियां मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी।

भवदीय-
विनीत चौधरी अधिवक्ता
कार्यालय-हिन्दुस्तान चेम्बर्स, चेम्बर क्र.-21, प्लाट नं.-59, जोन-2, एम.पी.नगर, भोपाल
मो.-7000120671, 9893677125

949